

## प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 1226 सन 2021

अनवान :-

1. सुभाष पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. राकेश कुमार पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. श्योलाल पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
2. मायादेवी पुत्री श्योलाल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
3. इन्द्राज पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
4. सोनू पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
5. सन्दीप कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
6. रेखाराम पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
7. विनोद कुमार पुत्र रेखाराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
8. सजय कुमार पुत्र रेखाराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
9. दलीप कुमार पुत्र गिरधारीराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
10. सुनिल कुमार पुत्र दलीप कुमार जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
11. कृष्ण कुमार पुत्र गिरधारीराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
12. मुकेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
13. गायत्री पुत्री गिरधारीराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
14. बिमला पुत्री गिरधारीराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 17.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 77/78 की कुल 11.8490 हैक् व खाता संख्या 581/73 की कुल 7.2590 हैक् मृतक गिरधारीराम के नाम से दर्ज है ।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गिरधारीराम पुत्र राजेराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण का दादा है गिरधारीराम पुत्र राजेराम का देहान्त हो चुका है गिरधारीराम पुत्र राजेराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो गिरधारीराम पुत्र राजेराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ,9 ,11 ,13 ,14 जो वादीगण के पिता /काका/ताउ/माता/बहन है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ,9 ,11 ,13 ,14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,7 ,8 ,10 ,12 के पक्ष में किया जा चुका है । इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 15 ,7 ,8 ,10 ,12 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है ।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की गिरधारीराम पुत्र राजेराम के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,7 ,8 ,10 ,12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है । वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे ।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने निवेदन किया की वाद भूमि गिरधारीराम पुत्र राजेराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है गिरधारी पुत्र राजेराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ,9 ,11 ,13 ,14 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,7 ,8 ,10 ,12 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,7 ,8 ,10 ,12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 15 ,7 ,8 ,10 ,12 के नाम से

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 77/78 की कुल 11.8490हैक व खाता संख्या 581/73 की कुल 7.2590हैक मृतक गिरधारीराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन हे कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गिरधारीराम पुत्र राजेराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण का दादा है गिरधारीराम पुत्र राजेराम का देहान्त हो चुका है गिरधारीराम पुत्र राजेराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो गिरधारीराम पुत्र राजेराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ,8 ,11,13 ,14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ,8 ,11,13 ,14 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,7, 8, 10, 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ,8 ,11,13 ,14 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 77/78 की कुल 11.8490हैक वादीगण बहिब 1/5 हिस्स , प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिब 1/5 हिस्स, प्रतिवादी संख्या 10 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 1/5 हिस्सा के एव खाता संख्या 581/73 की कुल 7.2590हैक भूमि में 5335/7259 हिस्सा में वादीगण बहिब 0.7084हैक प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.4284हैक प्रतिवादी संख्या 7 , 8 बहिब 0.7084हैक प्रतिवादी संख्या 10 का 1.4284हैक प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 0.9614हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक गिरधारीराम के नाम कलमजन किया जाता हे तथा रोही मौजा जबरासर के खाता 59/63 ,22/18,422/420, 470/464, 149/146 में प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,6 ,9 ,11 का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट... खूईया.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुभाष पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राकेश कुमार पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. श्योलाल पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
2. मायादेवी पुत्री श्योलाल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
3. इन्द्राज पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
4. सोनू पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
5. सन्दीप कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
6. रेखाराम पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
7. विनोद कुमार पुत्र रेखाराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
8. सजय कुमार पुत्र रेखाराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
9. दलीप कुमार पुत्र गिरधारीराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
10. सुनिल कुमार पुत्र दलीप कुमार जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
11. कृष्ण कुमार पुत्र गिरधारीराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
12. मुकेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
13. गायत्री पुत्री गिरधारीराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
14. बिमला पुत्री गिरधारीराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1226 सन 2021 निर्णय दिनांक- 17.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 77/78 की कुल 11.8490हैक् वादीगण बहिब 1/5 हिस्स , प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिब 1/5 हिस्स, प्रतिवादी संख्या 10 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 1/5 हिस्सा के एव खाता संख्या 581/73 की कुल 7.2590हैक् भूमि में 5335/7259 हिस्सा में वादीगण बहिब 0.7084हैक् प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.4284हैक् प्रतिवादी संख्या 7 , 8 बहिब 0.7084हैक् प्रतिवादी संख्या 10 का 1.4284हैक् प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 0.9614हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक गिरधारीराम के नाम कलमजन किया जाता हे तथा रोही मौजा जबरासर के खाता 59/63 ,22/18,422/420, 470/464, 149/146 में प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,6 ,9 ,11 का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट....खूईया